न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 489/2020
दायर दिनांक :– 23.12.2020

अनवान

मूलचन्द पिता छीतरलाल महाजन नि. बांकरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री सुनील कुमार पंचोली, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 20.09.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम कांस्या प. ह. बांकरा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 978/5 रकबा 04.0 बीघा प्रार्थी के खातेदारी व उपयोग उपयोग की कृषि भुमि स्थित है। प्रार्थी की कृषि भुमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता आ.न. 978 की मेर में होकर के मध्य होकर स्थित रास्ता का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के आराजी के मध्य की भूमि पर अन्य खातेदार द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जाकर निकलने में बाधा कारीत कर रहे है। प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने मे परेशानी उठानी पडती है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भुमि का प्रतिफल प्रार्थी न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 978/5 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर रिपोर्ट तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 20.04.2021 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये रास्ता बिलानाम आ.न. 978 में से 0.11 बीघा भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 978/5 में आने जाने हेतु ख. न. 978 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थी के आ.न. 978/5 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। सुगम व सही रास्ता आ.न. 978 में से ही संभव है। यह आराजी बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। जिससे आ.न. 978 में से रकबा 0.11 बीघा रास्ता दिया जाना उचित है। जिससे न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कांस्या प. ह. बांकरा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 978/5 रकबा 4.00 बीघा में आने जाने के लिये आ. न. 978 में से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 978 में से रास्ता हेतु रकबा 0.11 बीघा भुमि प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबा आ.न. 978 में से रकबा 0.11 बीघा की डी एल सी दर की दुगुनी 26400 रू. छब्बीस हजार चार सौ रू. बनते हैं जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner